न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 07/2020 (2020/00019) प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. राजु पिता हीरादास बैरागी,
2. शंकर पिता तुलसीदास बैरागी,
3. भगवानदास पिता मांगीदास बैरागी,

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लेहरू पिता पेमा कुम्हार,
2. रतनलाल पिता मांगु कुम्हार
3. भैरूलाल पिता मोहन कुम्हार
4. संतोक पुत्री हरलाल राव

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा।

5. रतनी पुत्री तुलसीदास पत्नी मदनदास बैरागी निवासी सोनियाणा हाल निवासर मेघरास तहसील सहाड़ा।
6. कमला पुत्री तुलसीदास पत्नी भैरूदास बैरागी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा हाल निवास राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
7. लेहरी बेवा तुलसीराम बैरागी,
8. श्यामलाल पिता हीरादास बैरागी,

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा।

9. धापु पुत्री हीरादास पत्नी सत्यनारायण बैरागी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा हाल निवास देवपुरी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
10. शान्ति पुत्री हीरादास पत्नी मदनदास बैरागी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा हाल निवास जवासिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
11. कैलाशी पुत्री हीरादास पत्नी मांगीदास बैरागी निवासी सोनियाणा हाल निवास मेहन्दी तहसील सहाड़ा।
12. सीता पुत्री मांगीदास पत्नर शंकरदास बैरागी निवासी सोनियाणा हाल निवास देवपुरी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ़।
13. प्रेमी पुत्री मांगीदास बैरागी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा।
14. पारसी पुत्री मांगीदास पत्नी रामनिवास बैरागी निवासी सोनियाणा हाल निवास अमरगढ़ तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
15. बाली बेवा मांगीदास बैरागी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा।

——विपक्षीगण

:: **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956** ::

निर्णय दिनांकः— 17/03/2020

:: आदेश ::

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त

लगातार.....02

Scanned with CamScanner

की आराजी संख्या 4104 रकबा 0.13हे0 4105 रकबा 0.11हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.24हे0 राजस्व खाता संख्या 552 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 15 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4104 रकबा 0.13हे0 4105 रकबा 0.11हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.24हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/– (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.03.17 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: